मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

महावीर सिंह बनाम श्रीराम आदि

दावा बाबत :– 88 RTAct

मुकदमा नम्बर :– 148/2019

निर्णय दिनांक :– 6-12-2021

वादी की ओर से वकील राजेन्द्र सहारण की व प्रतिवादी सं० 1 c/11 की ओर से वकील रामस्वरूप अग्रवाल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 6-12-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मोजा नुवां के खाता सं० 260/230 के खसरा सं० 415/1 की 5.2230 हे० बारानी व रोही कणाऊ के खाता सं० 311/310 के खसरा सं० 453/1 की 4.4700 हे० बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं० 1 श्रीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं० 1 श्रीराम के बजाए वादी महावीर सिंह को 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 1 श्रीराम, प्रतिवादी सं० 2 धर्मपाल, प्रतिवादी सं० 3 छोटूराम, प्रतिवादी सं० 4 नोरंग, प्रतिवादी सं० 5 पुर्णाराम, प्रतिवादी सं० 6 महेश प्रत्येक को 1/8 हिस्सा के व प्रतिवादी सं० 7 किमला पत्नी जयनारायण, प्रतिवादी सं० 8 सोना, प्रतिवादी सं० 9 सुमेत्रा, प्रतिवादी सं० 10 मन्जु, प्रतिवादी सं० 11 मुकेश को संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 6-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

(शिविर प्रभारी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
प्र.गा. के संग अ.-2021
कैम्प ....

Scanned with CamScanner